

सागर में चिकित्सा कालेज

1617. श्री राम सिंह अयरवाल : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में चिकित्सा कालेज स्थापित करने के लिये सरकार द्वारा नियत की गई धन-राशि में से सागर में चिकित्सा कालेज खोलने के लिये मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध करने का केन्द्रीय सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) किसी राज्य में नये मेडिकल कालेज कहां कहां पर खोले जायें इसका निर्णय सम्बन्धित राज्य सरकार करती है ।

समाज कल्याण विभाग के लिये धन राशि का नियतन

1618. श्री राम सिंह अयरवाल : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1947 से लेकर अब तक उनके विभाग के लिये कितनी धनराशि का नियतन किया गया और उसमें से कितनी धनराशि व्ययगत हो गई ;

(ख) सागौर और दमोह जिलों में उनके विभाग से कितनी संस्थायें अनुदान प्राप्त कर रही हैं तथा उनकी वार्षिक राशि कितनी है ; और

(ग) मध्य प्रदेश के उस जिले का नाम क्या है जिसे उनके विभाग से सबसे अधिक अनुदान मिलता है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणू गूह) : (क) समाज कल्याण विभाग जनवरी, 1966 में बना था । वर्ष 1966-67 के दौरान संस्थाओं को सहायक अनुदान देने के लिए 1,95,10,100

रुपए की बजट व्यवस्था की गई थी और उस वर्ष 9,05,847 की धनराशि व्ययगत होगई ।

(ख) इस विभाग द्वारा इन संस्थाओं को सीधे कोई धनराशि नियत नहीं की गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सागर जिला के बीड़ी उद्योगपतियों द्वारा देय करों की बकाया राशि

1619. श्री राम सिंह अयरवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सागर जिला के बीड़ी उद्योग-पतियों और दूसरे उद्योगपतियों से आय-कर सम्पत्ति कर और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की कितनी रकम अभी वसूल करनी बाकी है ;

(ख) अभी तक यह रकम वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) उसे शीघ्र वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) गत पांच वर्ष में सागर जिले में उत्पादन शुल्क, सम्पत्ति कर और आयकर के रूप में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि वसूल की गई ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री भोरारजी बेसाई) : (क) से (ख). प्रश्न जिस रूप में पूछा गया है उसके अनुसार सूचना देना संभव नहीं है । सम्पत्ति कर (भूमि तथा इमारतों पर लगाने वाले कर) केन्द्र का विषय नहीं होने से केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये अथवा वसूल नहीं किये जाते हैं, इस तथ्य के अलावा, जिन उद्योगपतियों के बारे में यह सूचना अपेक्षित है उनका जहां तक स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जाय, वसूल वहां तक, किये गये अथवा बकाया रहे केन्द्रीय करों के आंकड़ों का संकलन नहीं दिया जा सकता ।

(घ) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा आय कर के बारे में सूचना इक्कट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।